न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 196 / 2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2019 / 01218**
दायर दिनांक :— 23.10.2019 **निर्णय दिनांक :— 26.11.2024**

1. अल्लादीन पुत्र हमीद खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भावल खां पुत्र दोदे खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
3. मूसा खां पुत्र जलाल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2, 3

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3 / 1580 रकबा 25—00 बीघा सरहद मौजा रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है। प्रार्थी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। नजरी नक्शा संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे। लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3 / 1584 रकबा 25—00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3 / 1578 रकबा 25—00 बीघा भूमि की तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के कब्जा काश्त के विपरित कर दी है। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलावट कर प्रार्थी को सूचित किये बिना ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी की भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से कर दी है। इसलिये ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 3 / 1584 रकबा 25—00 बीघा, खसरा नम्बर 3 / 1578 रकबा 25—00 बीघा भूमि के नक्शा में विधि विरूद्व एंव कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जावे जिसका यह प्रार्थना

26.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिनन भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3/1580 रकबा 25–00 बीघा की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम आवंटन के आधार पर नक्शा लट्ठा में अंकित है इसी अनुसार ऑनलाईन नक्शा में भी अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 175 की पुश्त किसी प्रकार का कोई नजरी नक्शा अंकित नहीं है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)